IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 226वीं बैठक
दिनांक 02 दिसम्बर 2013 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 226वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसनें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री एम.के.एस.सुन्दरम	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
4–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
5–	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
6–	श्री आर.पी.कौशिक	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
7–	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक,प्रतिनिधि,सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
8–	श्री आर0एन0सिंह	उप सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
9–	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
10–	श्री आर0के0शुक्ला	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष,ल0वि0प्रा0	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

मद संख्या	विषय	निर्णय
226/1	परिषद की 225वीं बैठक दि0 14 अगस्त, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 225वीं बैठक दिनांक 14.08.2013 कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
226/2	परिषद की 225वीं बैठक दि0 14 अगस्त, 2013 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 225वीं बैठक दिनांक 14.08.2013 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
	प्रशासन अनुभाग	
226/3	नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित सदस्य को क्षतिपूर्ति के आधार पर परिषद में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त द्वारा एक समिति का गठन करते हुए अन्य विभागों में प्रचलित प्रकिया एवं नियमों का अनुपालन कराने तथा मानवीय आधार को भी दृष्टिगत रखते हुए सुविचारित प्रस्ताव तैयार कराकर सक्षम स्तर से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लें।
226/4	कार्यप्रभारित संज्ञा समाप्त कर नियमित फील्ड कर्मचारी की संज्ञा दिये जाने के सम्बन्ध में।	मद सं0 226/3 के निर्णयानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया।
226/5	राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था से परिषद के नियमति कार्यप्रभारित कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने के संबंध में।	मद सं0 226/3 के निर्णयानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

226/6	वर्ष 2012–13 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
226/7	परिषद के सहायक अभियन्ताओं को प्रतिमाह 35 लीटर पेट्रोल की कीमत के बराबर धनराशि (वास्तविक उपभोग के आधार पर) वाहन व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
226/8	परिषद में दैनिक वेतन/मस्टर रोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
226/9	शासनादेश वे0–आ0–2–2044/दस–54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 17.08.2010 द्वारा राजकीय विभागों हेतु संशोधित व्यवस्था के अनुरूप परिषद के मानचित्रकों को भी षष्ठम वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत देय ग्रेडवेतन रु0 2400.00 के स्थान पर ग्रेडवेतन रु0 2800.00 अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
226/10	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में वास्तुकला इकाईयों के सृजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	गोपन अनुभाग	
226/11	श्री आर0के0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठ स्टाफ आफिसर) की विभिन्न वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रदान की गयी 'श्रेणी' को उच्चीकृत किये जाने संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 19.03.2013 पर मा0 परिषद द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 02.07.2013 की संस्तुति पर पुनः विचार किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	अभियंत्रण अनुभाग	
226/12	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में प्रस्तावित 'भागीरथी एन्क्लेव' बहुमंजिले भवनों के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त मदों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–2बी में प्रस्तावित 'भागीरथी एन्क्लेव' बहुमंजिले भवनों के अन्तर्गत 780 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मदों के कार्य की कुल लागत रू–2129.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि उक्त अतिरिक्त मदों को पूर्व प्रस्ताव में सम्मिलित न किये जाने हेतु सम्बंधित को सचेत किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पुनः न हो।
226/13	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–3 (जी0एच0–1) में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत 'नन्दिनी एन्क्लैव' में प्रस्तावित एफ–84 प्रकार के 336 नग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–3(जी.एच.–1) में प्रस्तावित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली

	एवं एफ–64 प्रकार के 168 नग फ्लैट्स (एस+7) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत 'नन्दिनी एन्क्लेव' के अन्तर्गत एफ–84 प्रकार के 336 नग एवं एफ–64 प्रकार के 168 नग फ्लैट्स(एस+7) के निर्माण के कार्य की कुल लागत रू–7856.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
226 / 14	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 (जी0एच0–4) में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत 'गंगोत्री इन्क्लैव' में प्रस्तावित एफ–84 प्रकार के 448 नग एवं एफ–64 प्रकार के 336 नग फ्लैट्स (एस+7) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–8(जी.एच.–4) में प्रस्तावित स्ववित्तपोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत 'गंगोत्री एन्क्लेव' के अन्तर्गत एफ–84 प्रकार के 448 नग एवं एफ–64 प्रकार के 336 नग फ्लैट्स(एस+7) के निर्माण के कार्य की कुल लागत रू011897.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
226 / 15	लखनऊ मैट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद द्वारा रु0 200.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की योजना में मेट्रो का अधिक से अधिक लाभ लिया जाय।
226 / 16	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2'ए' में प्रस्तावित 'मदाकिनी एन्क्लेव' बहुमंजिलें भवनों के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त मदों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–2ए में प्रस्तावित 'मंदाकिनी एन्क्लेव' बहुमंजिले भवनों के अन्तर्गत 750 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु आवश्यक अतिरिक्त मदों के कार्य की कुल लागत रू–1661.72 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि उक्त अतिरिक्त मदों को पूर्व प्रस्ताव में सम्मिलित न किये जाने हेतु सम्बधित को सचेत किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पुनः न हो।
	सम्पत्ति अनुभाग (लखनऊ जोन)	
226 / 17	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में सुश्री अरूणिमा सिन्हा को आवास हेतु एक भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	समन्वय अनुभाग	
226 / 18	श्री लोकेश कुमार, अवर अभियन्ता को उनके आश्रित पुत्र के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर निदेशक	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	
226 / 19	श्री नुसरत अब्बास, उद्यान निरीक्षक को उनके आश्रित पत्नी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
226 / 20	परिषद योजनाओं में स्थित स्टाफ भवनों को उनमें आवासित परिषद कार्मिकों के पक्ष में निजीतौर पर आवंटन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	वास्तकला एवं नियोजन अनुभाग	
226 / 21	परिषद की लखनऊ, गाजियाबाद व मेरठ की परिषद योजनाओं के नियोजन/ परिकल्पना कार्यो के लिए कन्सलटेन्ट्स/सर्विसेज की दरों की निर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान किये जाने एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं, शर्तो एवं नियमों के अनुपालन हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
226 / 22	वसुन्धरा गाजियाबाद के भूखण्ड संख्या–14 /काम–2 का भूपयोग व्यवसायिक से आवासीय (समूह आवास) में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषद की 223 वीं बैठक के मद संख्या–15 पर पारित निर्णय में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
226 / 23	वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर–15 की भूमि का भू–उपयोग व्यवसाय से मिश्रित उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
226 / 24	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–1 की लगभग 20 एकड़ भूमि पर अवध शिल्प ग्राम (लखनऊ हार्ट) का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रोजेक्ट की रूपरेखा आदि तैयार कराकर विस्तृत प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
226 / 25	भूखण्ड संख्या–2बी/आई.एन.एस.–3, 2बी/आई.एन.एस.–4 व 2बी/आई.एन.एस.–6 वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद का भूपयोग संस्थानगत से आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को 6 माह की समयावधि में सम्पूर्ण कार्यवाही कराने के उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जाय, अन्यथा स्थिति में प्रस्ताव निरस्त माना जायेगा तथा उक्त आदेश अन्य समस्त भू–उपयोग परिवर्तन हेतु लंबित प्रस्तावों पर भी लागू होंगे।
226 / 26	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–7 एवं 8 का भू–उपयोग मिश्रित उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	भूमि अर्जन अनुभाग	
226 / 27	परिषद की डा0 अम्बेडकरपुरम् कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3, कानपुर में धारा–32 निरस्त व अनाधिकृत निर्माण से प्रभावित भूमि के परित्याग किये जाने तथा नियमानुसार असुधार शुल्क/विकास शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान दर पर आसुधार शुल्क लेकर समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।

226 / 28	परिषद की हंसपुरम् योजना संख्या–02, कानपुर में धारा–32 निरस्त व अनाधिकृत निर्माण से प्रभावित भूमि को समायोजित कर नियमानुसार असुधार शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान दर पर आसुधार शुल्क लेकर समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।
226 / 29	परिषद की कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–01 (केशवपुरम्) कानपुर में घनी आबादी / अनाधिकृत निर्माण से प्रभावित 80.00 एकड़ भूमि को समायोजित किये जाने तथा नियमानुसार असुधार शुल्क की वसुली किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान दर पर आसुधार शुल्क लेकर समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।
226 / 30	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसानों के साथ हुई वार्ता पर कार्यवाही के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	एम0डी0सी0	
226 / 31	उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति को परिषद में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश को अंगीकार किये जाने, प्रशिक्षण बजट 0.5 प्रतिशत रखने तथा भविष्य में बजट पुनरीक्षण हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
	प्रशासन अनुभाग	
226 / 32	वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन (भाग–1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
226 / 33	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में मुख्य अभियन्ता के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासन को संदर्भित किया गया।
226 / 34	वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों के अनुरूप सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिए लागू किये गये लिपिकीय ढांचे को परिषद में लागू करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश को अंगीकार किया गया।
226 / 35	परिषद कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2013 से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	समन्वय अनुभाग	
226 / 36	परिषद कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावो के निस्तारण किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
	सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग	
226 / 37	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में कल्याणी सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद को आवंटित भूखण्ड संख्या–6/GH-2 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
226 / 38	परिषद द्वारा विकसित योजनाओं में स्थित ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, नर्सिंग होम एवं यूटिलिटि भूखण्डों के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग		
226/39	परिषद की दिल्ली बुलंदशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना(सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद के अन्तर्गत राधा स्वामी पार्क प्लाट होल्डर्स सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, गाजियाबाद की भूमि को योजना में समायोजित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त एक समिति का गठन कर, विधिक पहलुओं का परीक्षण कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
226/40	वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–1, लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट भूमि ग्राम हैवतमऊ मवैया के खसरा सं0 2391 के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान विकास शुल्क की दरों पर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
वास्तुकला एवं नियोजन		
226/41	सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत पूर्व में विकसित पार्किंग स्थल की भूमि को अस्पताल निर्माण हेतु आरक्षित करते हुए पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग		
226/42	परिषद की एनसीआर एवं लखनऊ परिक्षेत्र में नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों को टू–बिड सिस्टम के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त नियम व शर्तें 2000 वर्ग मी0 से अधिक, किन्तु 10 एकड़ से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर लागू होगें।
226/43	**माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।**	

अनुमोदित

(सदाकान्त) 4/12/13

अध्यक्ष

10/12/13

आवास आयुक्त